

## कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : स्टोर / 2025 / 18

दिनांक : 16 जनवरी 2025

### —: कोटेशन हेतु अनुरोध :—

राजस्थान स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी, जोधपुर द्वारा पत्रांक 68 दि 07.01.2025 के क्रम में जिला मुख्यालय पर दिनांक 19.01.2025 को आयोजित एक दिवसीय द्वितीय संयुक्त कार्यशाला में संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हेतु निम्नानुसार भोजन तथा बैकड़ॉप बैनर एवं 40 फोटोग्राफ़्स की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु रजिस्टर्ड भोजनालय/कैटरस/उक्त कार्य करने वाली संस्थाओं से कोटेशन हेतु अनुरोध किया जाता है :—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दर (समस्त कर एवं प्रभार सहित)
1.	प्रतिभागी पीठासीन अधिकारी (अनुमानित अधिकारीगण तथा सर्पेंटिंग स्टाफ – 150 व्यक्ति) हेतु चाय नाश्ता, लंच लाइव	
2.	एक बैकड़ॉप बैनर एवं 40 फोटोग्राफ़्स	

भोजन का मीनू संलग्न अनुसार रहेगा। उक्त मीनू अनुसार ही दरें प्रस्तुत की जानी है। उक्त दरें समस्त करें एवं प्रभार सहित होंगी। पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। अनुमानित व्यक्तियों की सं0 में 10 प्रतिशत कमी/बढ़ोतरी हो सकती है।

कोटेशन हेतु अनुरोध दरों तथा संलग्न नियम एवं शर्तों को हस्ताक्षरित कर सीलबंद लिफाफे में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से दिनांक 18.01.2025 को प्रातः 10.15 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो उसी दिन प्रातः 10.30 बजे क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय को रहेगा। निविदादाता के पास पैन नं0 व फूड लाईसेंस नं0 एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन नं0 होना आवश्यक है। बिना उक्त दस्तावेज के प्राप्त निविदाओं/कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। नियम एवं शर्तें क्र0 सं0 1 से 22 तक इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

शेष शर्तें राजस्ट्र लोक उपापन अधिसंघ एवं नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार रहेंगी।

—  
अध्यक्ष क्रय समिति एवं एडीजे-08  
जयपुर महानगर—द्वितीय

क्रमांक : २९

दिनांक : 16 जनवरी 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर—ा
- अध्यक्ष कार्यशाला आयोजन समिति एवं ए.डी.जे. क्रम-06, जयपुर महानगर—ा
- मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर—ा
- नाजिर, न्यायालय हाजा को उक्त कार्य करने वाली प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करने हेतु।
- सिस्टम ऑफिसर को निविदा/कोटेशन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड।

अध्यक्ष क्रय समिति एवं एडीजे-08  
जयपुर महानगर—द्वितीय

## —: नियम एवं शर्तें :—

निविदा सूचना सं० ..... दिनांक .....

1. खाने/पीने का सामान उत्तम क्वालिटी का एवं स्वास्थ्यवर्धक होगा।
2. सभी सामग्री की आपूर्ति एवं चाय नाश्ता, लंच काउण्टर की व्यवस्था एडीआर भवन, शिवमार्ग, बनीपार्क, जयपुर में करनी होगी।
3. आवश्यक होने पर नाश्ते, लंच के नमूने का परीक्षण किया जा सकेगा।
4. चाय/कॉफी के कप एवं ब्रेक फास्ट के कैरी बैग तथा पैकिंग बॉक्स, लंच हेतु प्लेट्स, कटोरी चम्च, डिस्पोजल, पैकिंग/क्रॉकरी अच्छी क्वालिटी की काम में ली जायेगी जिनका प्रभार निविदा दर में ही शामिल रहेगा। जिसके लिए अलग से कोई लागत देय नहीं होगी।
5. सफल निविदादाता को समुचित कैटरिंग, वेटर स्टाफ एवं बैठने हेतु राउण्ड टेबल व कुर्सी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। जिनका प्रभार निविदा दर में ही शामिल रहेगा। जिसके लिए अलग से कोई लागत देय नहीं होगी।
6. कार्यशाला के हॉल में सफल निविदादाता को एक Backdrop Banner लगाना होगा तथा कार्यशाला के 40 फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराने होंगे। जिनका प्रभार निविदा दर में ही शामिल रहेगा। जिसके लिए अलग से कोई लागत देय नहीं होगी।
7. निविदादाता को चाय नाश्ते खाना बनाने परोसने, खिलाने के बर्तन, गैस मय चूल्हा, तन्दूर, लकड़ियाँ, बोनचाईना कप एवं फ्रीज इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी जिसका प्रभार निविदा प्रपत्र में वर्णित दरों में शामिल है।
8. आपूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार प्रतिभागियों की अनुमानित मात्रा में 10 प्रतिशत की कमी/बढ़ोतरी हो सकती है।
9. निविदा के तहत आपूर्ति एवं सर्विस बाबत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा अधिनियम 2012 के नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील अंकित किये जायेंगे।
11. निविदा दरों में समस्त कर एवं भाड़ा सम्मिलित होगा, पृथक से कोई कर/भाड़ा/व्यय अदा नहीं किया जायेगा।
12. श्रम विभाग के नियम/कानून की पालना निविदादाता को सुनिश्चित करनी होगी बाल श्रमिक नियोजित नहीं किए जाएंगे।
13. निविदादाता तथा उसके कार्मिक शिष्टतापूर्ण व्यवहार करने हेतु बाध्य होंगे।
14. निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया भोजन गर्म, सुपाच्य, स्वादिष्ट, पोषक व ताजा होना आवश्यक है। संस्थान द्वारा निर्देशित प्रदत्त स्थान पर ही कुकिंग कार्य करना होगा।
15. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि को कार्यशाला का आयोजन स्थगित करना पड़ता है और इस कारण कोई बनी हुई सामग्री खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी एवं कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं नवीन तिथि को संबंधित भोजन आदि की व्यवस्था की जानी होगी।
16. आकस्मिक व्यवस्था हेतु निविदादाता को दूरभाष/मोबाईल पर सूचित किया जावेगा। जिसका कार्यादेश द्वारा पुष्टि की जावेगी। अतः निविदादाता के यहां मोबाईल नं० होना आवश्यक है।
17. निविदा स्वीकार करने/नहीं करने का अंतिम अधिकार माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय का होगा।
18. निविदादाता उक्त कार्य किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।

19. बिल में बिल सं0 एवं जीएसटी नं0 प्रिंटेड होना आवश्यक है।
20. निविदा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद के संबंध में न्याय क्षेत्र जयपुर महानगर द्वितीय होगा।
21. कोटेशन के तहत प्रस्तुत दरें समस्त कर एवं सभी चार्ज सहित प्रस्तुत की जानी है। इसके अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
22. प्रतिभागी पीठासीन अधिकारी हेतु चाय नाश्ता लंच लाइव का मैन्यू निम्नानुसार है—

**BREAKFAST & EVENING :-**

1. Mix Pakoda
2. Tea/Coffee
3. Cookies
4. Jalabi
5. Pohe

**STARTAR :-**

1. Soup(Tomato +corn of veg)
2. Mini Samosa with Chutney
3. Spring Roll

**LUNCH :-**

1. Moong Dal Halwa
2. Sandesh (Bangali Sweet)
3. Dall Pili Tadka
4. Methi Malai Mutter
5. Paneer Lawabdaar
6. Dahi Bada
7. Jodhpur Mix Rice
8. Tawa Roti, Butter Naan, Missi Roti, Lacha Paratha
9. Papad/ Khiche/ Salad/ Achar  
(10 Plate Jain Food)

**MISC :-**

1. Chocolate/ Toffee Bowl
2. 250 ml Water Bottle (Bisleri)
3. 10 Bottle 1ltr (Bisleri)

अध्यक्ष *Gyan* समिति एवं एडीजे-08  
जयपुर महानगर-द्वितीय